

19.05.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया का वादिया
संप्र उपस्थित नहीं। बार-बार आवज लगाने
पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादिया का यह
वादपत्र अदम पैरवी - अदम हाजिरी में इसी स्तर
पर लायिज किया जाता है। पत्रावली बादतरतीब
तकमील होकर दायिलि दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर बुले न्यायालय में
सुनाया गया।

दिना
19.05.25
(किरण पाल)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना